न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. 2/2024 | तारीख दायर 22/11/2024 | तारीख फैसला 05/05/2025

अशोक गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लाट ए–404 (ए) रोड नं. 9 एफ–विश्कर्मा जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र घासीराम (दौराने वाद नाम हजफ)
2. मदनलाल पुत्र घासीराम (दौराने वाद नाम हजफ)
3. रूडर देवी पत्नी घासीराम (दौराने वाद नाम हजफ)
4. रामचन्द्र पुत्र घासीराम (दौराने वाद नाम हजफ)
5. शंकरलाल पुत्र घासीराम (दौराने वाद नाम हजफ)
6. हरसहाय पुत्र हनुमान (दौराने वाद नाम हजफ)
   समस्त जाति जाट निवासी छारसा मनोहरपुर जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
7. बाबूलाल पुत्र राधेश्याम
8. भगवान सहाय पुत्र राधेश्याम
9. महेश पुत्र राधेश्याम
10. रमेशचन्द पुत्र राधेश्याम
    समस्त जाति महाजन निवासी प्लाट ए–404 (ए) रोड नं. 9 एफ–विश्कर्मा जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक महोदय जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
13. श्री विनायक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान नायला।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर :– वकील वादी।
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :– प्रतिवादी सं0 13

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री लल्लू प्रसाद गुर्जर ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 27 के खसरा नम्बर 1 रकबा 2.5000है0, खसरा नम्बर 21 रकबा 11.9100है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0400है0, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.5000है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.0100है0 खसरा नम्बर 8 रकबा 16.0100है0 कुल किता 7 कुल रकबा 30.9900है0 वाके ग्राम चक पालडी, पटवार हल्का खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक, हिस्से को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीटस एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 07.04.2025 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी

सार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम म रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम चक पालडी, पटवार हल्का खरकडा, तहसील गढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं गण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
गुप्ता पुत्र राधेश्याम हि0 52/525, बाबूलाल धेश्याम हि0 143/1050, भगवान सहाय पुत्र याम हि0 143/1050, महेश पुत्र राधेश्याम हि0 525, रमेशचन्द पुत्र राधेश्याम हि0 68/625 महाजन सा0 जयपुर, श्री विनायक शोध एवं क्षण संस्थान नायला जयपुर खातेदार।	1 21 24 5 6 7 8	2.5000 11.9100 0.0400 0.5000 0.0200 0.0100 16.0100	बंजड बारानी 2 गै0मु.चाह गै.मु.सडक गै.मु.चाह गै.मु.चाह चाही 3 5.0000 बंजड 11.0100	—
योग	किता 7	30.9900	—	—

—: प्रस्तावित :—

	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
	अशोक गुप्ता पुत्र राधेश्याम हि0 52/357, बाबूलाल पुत्र राधेश्याम हि0 143/714, भगवान सहाय पुत्र राधेश्याम हि0 143/714, महेश पुत्र राधेश्याम हि0 94/357, रमेशचन्द पुत्र राधेश्याम हि0 4/21 जाति महाजन सा0 जयपुर,	1/1 6 8/1 21/1	1.7000 0.0200 10.8870 8.0990	बंजड गै.मु.चाह चाही 3 3.4000 बंजड 7.4870 बारानी 2	—
	योग	किता 4	20.7060	—	—
2	श्री विनायक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान नायला, जयपुर खातेदार	1/2 7 8/2 21/2	0.8000 0.0100 5.1230 3.8110	बंजड गै.मु.चाह चाही 3 1.6000 बंजड 3.5230 बारानी 3	—
	योग	किता 4	9.7440	—	—
3	शामलाती भूमि (हिस्सा पूर्वानुसार)	5 24	0.5000 0.0400	गै0मु0सडक गै0मु0चाह	—
	योग	किता 2	0.5400	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 05/05/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला जयपुर